भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1746
11 फरवरी, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

प्रवासियों के लिए अनिवार्य क्वारंटीन में छूट

1746. श्री एम.के. राघवनः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कम जोखिम वाले देशों से भारत आने वाले प्रवासियों के लिए सात दिनों के अनिवार्य क्वारंटीन में छूट देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) और (ख): केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिनांक 10 फरवरी 2022 को अपने 'अंतर्राष्ट्रीय आगमन से संबंधित दिशानिर्देशों' में संशोधन किया है, जो 14 फरवरी 2022 से प्रभावी होंगे, जिसमें भारत आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को भारत में आगमन से पहले या तो नेगेटिव आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट अथवा कोविड -19 टीकाकरण पूर्णता प्रमाण पत्र (केवल उन देशों के लिए जिनके पास राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त या डब्ल्यूएचओ द्वारा मान्यता प्राप्त टीकों के टीकाकरण प्रमाण पत्रों की पारस्परिक मान्यता के संबंध में भारत के साथ समझौता है) प्रस्तुत करना होगा।

वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए अनिवार्य होम क्वॉरन्टीन का कोई प्रावधान नहीं है।